



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ 17, सोमवार, शाके 1935-जुलाई 8, 2013 Asadha 17, Monday, Saka 1935-July 8, 2013	

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
ORDER**

Jaipur, June 20, 2013

G.S.R. 26 .- In exercise of the powers conferred by under Rule 4 (2) of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992 Hon'ble Speaker Rajasthan Legislative Assembly hereby issue the Following order to make the amendments in the Schedule, Namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2013

(2) They shall come into force with immediate effect and shall always be deemed to have come into force with effect from 14 March, 2008.

2. Amendment in Schedule .- (1) In Column No. 6 against Serial No. 18 under the heading "Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service" for the existing expression "On the basis of seniority cum merit" the expression "On the basis of merit and seniority cum merit" in the proportion of 50:50" shall be substituted.

[No.F.3 (6) Estt./RLA/1991 Part-III/2013/23904-907]

By Order,

प्रदीप कुमार शास्त्री,
Special Secretary.

अधिकृत हिन्दी अनुवाद

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

आदेश

जयपुर, जून 20, 2013

जी.एस.आर. 26 :- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के नियम 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का आव्हान

करते हुये माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा इन नियमों की अनुसूची में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश प्रसारित करते हैं, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह नियम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे तथा सदैव ही दिनांक 14 मार्च, 2008 से सतत् प्रभावी रहते हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची में संशोधन :- (1) शीर्षक " राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अन्तर्गत क्रम संख्या 18 के सामने कॉलम (स्तम्भ) संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "योग्यता एवं योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर 50:50 के अनुपात में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प.3 (6)संस्था/विस/1991पार्ट-III/2013/23904-907]

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।